

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

॥ विविध-आदेश ॥

क्रमांक— 06..... /एक-९-१/९० (भाग-१)

सीधी, दिनांक : १२/०१/२०२४

मैं संजीव पाण्डेय, सत्र न्यायाधीश, सीधी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 10 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सत्र खण्ड सीधी के लिए उक्त कार्य से संबंधित पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्न कार्य विभाजन पत्रक जारी करता हूँ जो दिनांक 16/1/2024 से प्रभावशील होगा:—

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
			4
1	1. सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	<ol style="list-style-type: none"> अधिसूचित विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर समस्त सत्र व अन्य दाइडिक प्रकृति के प्रकरण। म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 13 के तहत प्रकरण। तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर शेष समस्त दाइडिक अपीलें। तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर शेष समस्त दाइडिक पुनरीक्षण। तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर एवं विशेष न्यायालयों में सीधे प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदनों को छोड़कर समस्त जमानत आवेदन। उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाइडिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।
2.	विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एस. सी.एस.टी. (पी.ए.) एकट, सीधी	सत्र खण्ड सीधी	<ol style="list-style-type: none"> सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाइडिक अपील, दाइडिक पुनरीक्षण, विविध दाइडिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। सत्र खण्ड सीधी के अंतर्गत उत्पन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से सुनवाई योग्य प्रकरण। उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाइडिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।

कार्य विभाजन पत्रक – सत्र खण्ड सीधी वर्ष 2024

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार			
			1	2	3	4
3	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी				<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. सत्र खण्ड सीधी के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से सुनवाई योग्य प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 4. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।
4	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सत्र खण्ड सीधी				<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. सीधी जिले से उद्भूत समस्त Case Under POCSO Act, 2021 रामपुर नैकिन सहित 3. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।
6	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी				<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी अनुषांशिक कार्यवाहियां। 2. विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 3. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4
7	अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय रामपुर–नैकिन, जिला सीधी	थाना रामपुर–नैकिन	<ul style="list-style-type: none"> 1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाइडक अपील, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों में आगामी अनुषांशिक कार्यवाहियां। 2. विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर थाना रामपुर नैकिन के समस्त सत्र, अन्य दाइडक प्रकृति के प्रकरण व जमानत आवेदनों में अनुषांशिक कार्यवाहियां। 3. रामपुर नैकिन में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत दाइडक अपीलें तथा पुनरीक्षण। 4. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाइडक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।

// आवश्यक निर्देश //

1. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अभियुक्त के पश्चातवर्ती जमानत आवेदन तथा सह अभियुक्तों के जमानत आवेदनों की सुनवाई उन्हीं न्यायाधीश द्वारा की जावेगी, जिन्होंने उस अपराध क्रमांक से संबंधित आवेदन पूर्व में निराकृत किये हैं। इस हेतु तत्संबंधी जमानत आवेदन उस न्यायाधीश के न्यायालय को स्वतः अंतरित माना जावेगा। इसी प्रकार सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण लंबित हैं, उनसे संबंधित अभियुक्त, सहअभियुक्त के प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय को स्वतः अंतरित माना जावेगा।
2. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में नये जमानत आवेदन पेश होने पर उनकी सुनवाई **सोमवार, मंगलवार** को विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु.जाति अनु. जन. अत्या. नि. अधि.) सीधी के न्यायालय द्वारा, **बुधवार, गुरुवार** को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा, **शुक्रवार**, को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी द्वारा एवं **शनिवार** को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा की जावेगी।
3. अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त प्रकार के दाइडक, निष्पादन, विविध प्रकरण तथा आवेदनों का निराकरण (जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरण भी शामिल हैं) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा किया जावेगा व उनका न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित “चार्ज प्रभार” की व्यवस्था अनुसार प्रभारी न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

4. समस्त न्यायाधीश वारंट (चाहे वह जमानती, अजमानती हों अथवा कुर्की, कब्जा अथवा अन्य प्रकार के वारण्ट हों) पर संबंधित लिपिक के लघु हस्ताक्षर सील के नीचे होने तथा अभिलेख से वारण्ट के सही होने की पुष्टि करने के उपरांत वारण्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।
5. प्रकरणों में जो संपत्ति जमा की जावे, वह पूरी होने की संतुष्टि करने के बाद व न्यायाधीश की मुद्रा के नीचे संबंधित लिपिक के संक्षेप में हस्ताक्षर करने के उपरांत ही न्यायाधीश माल पर्चे पर हस्ताक्षर करेंगे।
6. तहसील रामपुर नैकिन के न्यायालय की श्रंखला अधिकार से संबंधित त्वरित प्रकृति के प्रकरणों व आवेदनों का निराकरण जिला मुख्यालय सीधी में कार्यरत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।
7. यदि कोई ऐसा मामला/आवेदन आदि पेश होता है, जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में न हो तो वह संबंधित तहसील/जिले के वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा सुना व निराकृत किया जावेगा।

:: चार्ज प्रभार ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (3) के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में आवश्यक दाण्डिक कार्य के लिए पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो दिनांक—.../.../1/2024 से प्रभावशील होगा :—

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क.3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
1.	सत्र न्यायाधीश, सीधी	विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु. जाति अनु. जन. अत्या.नि.अधि.), सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
2.	विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु.जाति अनु. जन. अत्या. नि. अधि.) सीधी	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश
3.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी	विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु. जाति अनु. जन. अत्या.नि.अधि.), सीधी	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
4.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
5.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी
6.	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी

कार्य विभाजन पत्रक – सत्र खण्ड सीधी वर्ष 2024

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क.3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
7.	अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय, रामपुरनैकिन	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी

नोट- उक्त प्रथम एवं द्वितीय अधिकृत न्यायाधीशों के अवकाश पर होने पर उपलब्ध वरिष्ठतम् न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य निपटाया जायेगा।

सही/-
(संजीव पाण्डेय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी, म.प्र.

पृ. क्रमांक १२४ / एक-९-१ / ९० (भाग-२)

सीधी, दिनांक १२/०१/२०२४

प्रतिलिपि:- यथा निर्देशित

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सीधी,
 2. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीधी,
 3. प्रथम / द्वितीय / चतुर्थ / अपर सत्र न्यायाधीश सीधी,
 4. अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय, रामपुरनैकिन,
 5. रीडर, सत्र न्यायाधीश सीधी,
- की ओर सत्र खण्ड सीधी का विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी / चुरहट / मझौली / रामपुरनैकिन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 7. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग सीधी की ओर इस न्यायिक स्थापना के वेबसाइट / समस्त संबंधितों की ईमेल आई.डी. पर अपलोड कराए जाने हेतु प्रेषित।

M
Lalit

कृते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

सीधी, म.प्र.